

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/सं.आ./सि.मै./2013/डी-1370

दिनांक :- 22/11/13

शुद्धि-पत्र

कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 के कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 183.3 में सम्बन्धित अधिकारी के कॉलम में संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय) के स्थान पर सहवन से अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं सिस्टम एनालिस्ट टंकित हो गया है।

अतः कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 के कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 183.3 में सम्बन्धित अधिकारी के कॉलम में अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं सिस्टम एनालिस्ट के स्थान पर संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय) पढ़ा जावे।

(विष्णु चरण मल्लिक)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर।
8. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जयपुर।
9. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर ।
12. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
13. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
14. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
15. निदेशक (आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
16. निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
17. निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
18. अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी/भूमि/पुर्नवास), जविप्रा, जयपुर।
19. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20. उपायुक्त जोन- 12,14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21. सिस्टम एनालिस्ट, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.183)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2013/डी- 1254

दिनांक: 30/9/13

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	183.1	कार्यकारी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 02.09.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 02.09.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	183.2	कार्यकारी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 02.09.2013 में लिए गए निर्णयों की क्रियाविवृति रिपोर्ट।	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट) द्वारा कार्यकारी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 02.09.2013 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट की समीक्षा कर दिनांक 30.09.2013 तक आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जावेगा।	
3.	183.3	निजी स्नातेदार के द्वारा प्रस्तावित एकल पट्टों के प्रकरण में जविप्रा को पब्लिक यूटिलिटी हेतु समर्पित की जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि के सम्बन्ध में।	<p>उक्त एजेण्डा पर विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एकल पट्टा के प्रकरणों में सम्बन्धित जोन उपायुक्त द्वारा 5 प्रतिशत समर्पित भूमि के सम्बन्ध में सूचना पट्टा जारी करने से पहले कम्प्यूटर में अपलोड की जावेगी। इस बाबत सिस्टम एनालिस्ट द्वारा आगामी सात दिवस में नया प्रोग्राम तैयार कर उसका प्रशिक्षण दिया जावेगा। 2. ले-आउट प्लान के अनुमोदित मानचित्रों को अनुमोदन पश्चात स्केन करते समय यह प्लैग लगाया जावेगा कि "सम्बन्धित ले-आउट प्लान में दर्शाई गई समर्पित भूमि, फैंसिलिटी ऐरिया आदि के साईट प्लान तैयार कर लैण्ड बैंक को भिजवाया जाना शेष है।" 3. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत समर्पित की गई भूमि को भी सम्बन्धित उपायुक्त जोन द्वारा लैण्ड बैंक को सूचित करने हेतु कम्प्यूटर में इन्द्राज किया जावेगा। इसी प्रकार भवन मानचित्र समिति (बी.पी) द्वारा जारी की गयी अनुमोदित मानचित्र में दर्शाए गये ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी प्लेट्स की सूचना लैण्डबैंक को सूचित करने हेतु कम्प्यूटर में इन्द्राज किया जायेगा। 4. ऐसे पुराने प्रकरणों के सम्बन्ध में, जिनमें फैंसिलिटी ऐरिया, समर्पित भूमि आदि का इन्द्राज होना शेष है, में यह निर्देश दिए गए कि सिस्टम एनालिस्ट द्वारा सभी जोन को उनसे सम्बन्धित अनुमोदित ले-आउट प्लान की सूची भिजवा दी जावेगी तथा सम्बन्धित जोन द्वारा उपरोक्तानुसार समर्पित भूमि, फैंसिलिटी ऐरिया के सम्बन्ध में डाटा एन्ट्री कर दिनांक 30.10.2013 तक कम्प्यूटर शाखा को भिजवाई जावेगी। 	<p>अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)</p> <p>सिस्टम एनालिस्ट</p>

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	183.4	वरिष्ठ मानचित्रक के 09 पद एवं कनिष्ठ मानचित्रक के 03 पदों को नगर नियोजन विभाग की केंडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात सचिव जविप्रा द्वारा संयुक्त शासन सचिव तृतीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित पत्र क्रमांक प.14(11) जविप्रा/संस्था/2013 दिनांक 16.08.2013 जिसमें कि प्राधिकरण स्ट्रेन्थ के वरिष्ठ मानचित्रक के 9 पद एवं कनिष्ठ मानचित्रक के 3 पद नगर नियोजन विभाग के केंडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित किये जाने एवं इन पदों को प्राधिकरण के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने बाबत निवेदन किया गया था, की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
5.	183.5	60वीं यू.टी.टी.पी. वर्ल्ड कांग्रेस एण्ड मोबिलिटी एण्ड ट्रांसपोर्ट एक्जीविशन जिनेवा में यात्रा परिवहन बोर्डिंग एवं लोजिंग इत्यादि पर अधिक व्यय हुई राशि रूपये 303748.00 /- की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात श्री कुलदीप रांका, तत्कालीन आयुक्त जविप्रा, श्री डी.सी. जबडा, निदेशक वित्त एवं श्री एन.सी माथुर, निदेशक अभियान्त्रिकी द्वारा दिनांक 06.05.2013 से 30.05.2013 तक 60वीं यू.टी.टी.पी. वर्ल्ड कांग्रेस एण्ड मोबिलिटी एण्ड सीटी ट्रांसपोर्ट एक्जीविशन, जिनेवा में भाग लेने पर नियमों में वर्णित सीमा से अधिक व्यय की गई राशि रूपए 3,03,748/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्देश दिए गए कि प्रकरण को तत्पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (वित्त)
6.	183.6	उपापन संस्था द्वारा एक प्रतियुत्तरदायी बोली को उच्चतर प्राधिकारी (कार्यकारी समिति) द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात Hiring of Services of Man Power of Data Entry Operator हेतु आमंत्रित निविदा में मैसर्स सोल्यूशन एण्ड सोल्यूशन को दिए गए कायदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
7.	183.7	उपापन संस्था द्वारा एक प्रतियुत्तरदायी बोली को उच्चतर प्राधिकारी (कार्यकारी समिति) द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण में कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स जयपुर एक्स सर्विसमेन वेलफेयर कॉ-आपरेटिव सोसायटी लि. को दिए गए कायदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
8.	183.8	प्राधिकरण हेतु 2 नये वाहन क्रय करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की बैठक 18.03 दिनांक 05.08.2013 में प्राधिकरण में दो वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में आंशिक परिवर्तन करते हुए एक वाहन Maruti Suzuki SX4 ZDI (डीजल) एवं एक वाहन Maruti Suzuki SX4 ZDI (पेट्रोल) क्रय करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
9.	183.9	Agenda Regarding Approval of Tender for the work : Const. of different road in jeetawala in Bassi Constituency, Zone-13B, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श उपरांत अधिशाषी अभियन्ता-13बी द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-13बी के अन्तर्गत बस्सी विधानसभा क्षेत्र के जीतावाला पंचायत की विभिन्न सड़कों के विकास कार्य हेतु मैसर्स भगत कन्सट्रक्शन कं. को बी. एस.आर. 2012 से 11.66% कम दर पर राशि रूपए 84,92,895.00 का कायदेश जारी करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
10.	183.10	Construction of Roads in Zone-13B area, JDA, Jaipur (Rate Contract.)	विचार-विमर्श उपरांत अधिशाषी अभियन्ता-13बी द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-13बी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य (दर संविदा) हेतु मैसर्स लालचन्द तिवाड़ी को बी.एस.आर. 2012 से 17.75% अधिक दर पर राशि रूपए 3,41,53,557.06 का कायदेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
11.	183.11	Post Facto approval to call negotiation and Approval of tender for the work "Strengthening of Internal and Road in Sector-33 in Zone-6 area, Jaipur (Phase-	विचार-विमर्श के उपरांत अधिशाषी अभियन्ता-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार जोन-6 क्षेत्र के सेक्टर-33 में आंतरिक एवं मुख्य सड़कों के सुदृढीकरण के कार्य (फेज-प्रथम) हेतु मैसर्स खुदाबखश पठान से नेगोसिएशन प्राप्त करने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति तथा राशि रूपए 8,10,65,789/- का	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		I.)"	कायदेशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
12.	183.12	Construction of C.C. & B.T. road in Sector-8 in Zone-7 area, JDA, Jaipur	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-7 ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
13.	183.13	Renewal of roads at Tagore Nagar (Anand Bhawan GNSS), Ajmer road, Zone-7, JDA Jaipur.	प्रकरण में विचार विमर्श उपरान्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। विचार-विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-7 द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस प्रकरण का पूर्व में अनुमोदन हो गया है। अतः उक्त कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
14.	183.14	Renewal of roads in Doctors' Colony, Zone-7, JDA Jaipur.	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-7 ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
15.	183.15	Painting and road marking work in Maintenance Zone-North JDA, Jaipur.(RC)	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-उत्तर ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
16.	183.16	Painting and road marking work in Maintenance Zone-South JDA, Jaipur.(RC)	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-दक्षिण ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
17.	183.17	Const. of Various roads & Drain in Chomu Town Part-I (Remaining work)	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-13ए ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
18.	183.18	Renewal of roads in Chitrakoot Sector-3,4,5&6 in Chitrakoot Scheme, Zone-7, JDA Jaipur.	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-7 ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)

राजिद,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	
19.	183.19	Improvement & widening & Constuction of road from railway station road Chomu to Garedon ki Dhani via Biharipura village (Remaining work)	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-13ए ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
20.	183.20	Construction of various C.C. road in Gram Panchyat Daulatpura in Amer Constituency in Zone-13 A JDA Jaipur.	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-13ए ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
21.	183.21	Const. of Various roads & Drain in Chomu Town Part-II (Remaining work)	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-13ए ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
22.	183.22	Placing & compaction of Kandhal ready made bituminious Patching mix in potholes various roads in Zone-13A, JDA, Jaipur.(Rate-Contract)	प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में अधिशाषी अभियन्ता-13ए को निविदा राशि रूपए 50,000/- से कम होने के उपरांत भी निविदा को 60 दिवस के अन्दर क्यों नहीं निर्णित किया गया बाबत कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		Roads in Sector-33 in Zone-6 area, JDA, Jaipur (Phase-II.)"	सुदृढीकरण के कार्य (फेज-द्वितीय) हेतु मैसर्स खुदाबख्श पठान को राशि रूपये 7,38,75,864.00 का कायदेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
26.	183.26	Approval of Tender for the work " SITC of 33/11 KV sub- station at SEZ, Jaipur"	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-विद्युत-प्रथम ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
27.	183.27	प्राधिकरण में अधिशाषी अभियन्ता जोनों में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं को एक-एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करवाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि जोन अभियन्ताओं को रोड रिपेयर हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 9(1)एफडी 1(1)बजट/2012 दिनांक 10.02.2012 जिसे दिनांक 01.11.2012 एवं दिनांक 01.07.13 के अद्यतन किया गया है, के अनुसार निर्धारित दरों एवं शर्तों पर स्वयं के सतर पर एक टैक्सी वाहन दिनांक 31.03.2014 तक लेने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
28.	183.28	Renewal of Roads in Zone-13B area, JDA Jaipur (Rate Contract.)	विचार-विमर्श पश्चात मैसर्स रामेश्वरलाल काला के पक्ष में G-schedule 19.99% above की दर पर राशि रूपए 3,47,99,619.92 का कायदेश जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
29.	183.29	"Const.& Repair of drain ass per master drainage plan in Zone-2 area, JDA Jaipur Phase-I"	सिंगल बिडर मैसर्स मीरा कन्सट्रक्शन्स द्वारा नेगोशिएशन के पश्चात दी गई दरें (37.50% उपर) अधिक प्रतीत होती हैं। अतः विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि कमेटी रेट एनालिसिस के आधार पर प्राप्त दर 31.65 प्रतिशत ऊपर का काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अगर फर्म काउन्टर ऑफर स्वीकार कर लेती है तो कायदेश जारी कर दिया जावे।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
30.	183.30	Const. & Repair of drain as per master drainage plan	सिंगल बिडर मैसर्स मीरा कन्सट्रक्शन्स द्वारा दी गई 42.21% उपर की दरें अधिक हैं। अतः विचार-विमर्श पश्चात इस पर नेगोशिएशन आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एजेण्डा संख्या 183.29 के क्रम में अगर फर्म रेट एनालिसिस के अनुसार दर 31.65 प्रतिशत उपर तक नेगोशिएट करती है तो फर्म को कायदेश जारी कर दिया जावे।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
31.	183.31.	Approval of Tender for the work : Construction of Two Layer WBM Sector Roads between PRN boundary and existing BT Road from kalwad Road to Kankpura Railway Phatak in Zone-16, JDA, Jaipur.	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-16 ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
32.	183.32	Approval of Tender for the work : Construction of Two Layer WBM Sector Roads between C-Zone bypass and existing BT Road from kalyad Road to	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-16 ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
 बयपुर विकास प्राधिकरण. बयपुर

		Kankpura Railway phatak in Zone-16 JDA, Jaipur	प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	
33.	183.33	Various Development work- in Chomu Phase-II, Zone-13A, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात न्यूनतम बोलीदाता मैसर्स राधाकृष्ण यादव के पक्ष में BSR 2010 से 51.01% above पर रूपए 3,24,27,259.00 का कार्यदिश जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
34.	183.34	Production & supply of Kandhal readymade bituminous pothole patching mix Zone-13A, JDA, Jaipur. (Rate-Contract).	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-13ए ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
35.	183.35	Agenda Regarding Approval of Tender for the work : Renewal and improvement of existing road of zone-12 area JDA, Jaipur approval for the Single Bid of M/s Alankar Const. Co. on behalf of Parul Const. Co. & Alankar Const. Co. (JV).	विचार-विमर्श पश्चात सिंगल बिड मैसर्स अलंकार कन्सट्रक्शन्स कम्पनी को ऑन बिहाफ ऑफ पारूल कन्सट्रक्शन्स कम्पनी और अलंकार कन्सट्रक्शन्स कम्पनी (JV) को राशि रूपए 7,64,98,454.15 का कार्यदिश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
36.	183.36	Approval of Tender for the work "Construction of office building and Parking at IInd IIIrd Floors on existing Multilevel parking JDA Campus, JDA, Jaipur" for Rs. 13,75,05,961.82	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में अंकित दरों पर मैसर्स हरिनारायण खण्डेलवाल के पक्ष में बीएसआर आईटम शड्यूल-जी पर 31.41 प्रतिशत उपर तथा नॉन बीएसआर आईटमों की आईटम दरों सहित उक्त कार्य के लिए रूपए 13,75,05,961.82 का कार्यदिश बिना शर्त जारी करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
37.	183.37	प्रधिकरण में प्रवर्तन अधिकारी एवं क्षेत्र सहायक के नवीन पद सृजित किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन अधिकारी के 04 एवं क्षेत्र सहायक के 08 नवीन पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
38.	183.38	राजीव आवास योजनान्तर्गत जयपुर शहर हेतु "स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन" एवं समस्त सम्बन्धित योग्य कच्ची बस्तियों की आवश्यकतानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात "स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन" हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.07.11 के तहत मैसर्स याशी कन्सल्टिंग सर्विस प्रा. लि. को "स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन" एवं डीपीआर बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त एग्जीमेंट के अनुसार जारी कार्यदिश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
39.	183.39	Agenda regarding approval of tender for the work of " Development of Woodland near B2 bypaas, JDA, Jaipur".	विचार-विमर्श पश्चात बी-2 बाईपास के समीप वुडलैण्ड के विकास कार्य हेतु न्यूनतम बोलीदाता मैसर्स निराणिया कन्सट्रक्शन्स कम्पनी को BSR से 22.51 प्रतिशत उपर पर उक्त कार्य के लिए रूपए 3,70,85,784.51 का कार्यदिश जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
40.	183.40	Patch repair work on various road of sector-36 & 37 and Mahal road, zone-9 area, JDA, Jaipur.(Rate Contract).	प्रकरण में विचार विमर्श में अधिशाषी अभियन्ता-9 ने अवगत कराया कि निविदा की वैधता अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के क्रम में टेण्डर वैधता अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष कार्यवाही प्राधिकरण की SOP के अनुसार सक्षम कमेटी स्तर पर निर्णय लिये जाने के	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			निर्देश दिये गए।										
41.	183.41	प्रसार भारती, दूरदर्शन को जविप्रा की विज्ञापन दरें प्राईम टाइम 1500/-रुपए प्रति 10 सैकण्ड तथा नॉन-प्राईम टाइम 1000/-रुपए प्रति 10 सैकण्ड स्वीकृत करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्रसार भारती, दूरदर्शन को जविप्रा की विज्ञापन दरें प्राईम टाइम 1500/-रुपए प्रति 10 सैकण्ड तथा नॉन-प्राईम टाइम 1000/-रुपए प्रति 10 सैकण्ड प्राधिकरण विज्ञापन हेतु दिए जाने की स्वीकृत प्रदान की गई।	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)									
42.	183.42	ग्राम वाटिका में हरित विहार योजना सृजित करने पर प्रस्तावित भूमि पर बावरिया/साठ्या जाति के अतिक्रमणधारी परिवारों को पुनर्वास/भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात ग्राम वाटिका में हरित विहार योजना सृजित करने पर प्रस्तावित भूमि पर बावरिया/साठ्या जाति के अतिक्रमणधारी परिवारों को 32 वर्गमीटर (38.27 वर्गगज) के भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त (जोन-14)									
43.	183.43	प्राधिकरण के वर्तमान जोन-10, जोन-12, जोन-13 एवं जोन-14 का पुनर्गठन किए जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण के वर्तमान जोन-10, जोन-12, जोन-13 एवं जोन-14 के क्षेत्राधिकार को एजेण्डानुसार विभाजन एवं संशोधन करते हुए नवीन जोन्स का गठन एवं उनका क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :-	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्तमान जोन</th> <th>प्रस्तावित नवगठित जोन का क्षेत्राधिकार</th> <th>प्रस्तावित नया जोन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>जोन-1 के आगरा रोड की ओर पूर्वी मिलान बिन्दु से उत्तर की ओर दिल्ली बाईपास रोड पर चलते हुए आमेर की पहाड़ी के छोर तक व इसका पूर्वी भाग। जयपुर दिल्ली बाईपास व आमेर पहाड़ी के छोर से पूर्व की ओर चलते हुए प्रस्तावित रिंग रोड को क्रॉस करते हुए दूढ़ नदी के मिलान बिन्दु तक व इसका दक्षिणी क्षेत्र। दूढ़ नदी के इस मिलान बिन्दु से दूढ़ नदी के सहारे-2 दक्षिण की ओर चलते हुए आगरा रोड के मिलान बिन्दु तक व इसका पश्चिमी क्षेत्र। आगरा रोड के इस मिलान बिन्दु से पश्चिम की ओर आगरा रोड पर चलते हुए जोन-1 के पूर्वी भाग की सीमा तक व इसका समस्त उत्तरी भाग।</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>जोन-9 की उत्तर-पश्चिमी सीमा व रेलवे लाईन मिलान बिन्दु से उत्तर की ओर चलते हुए आगरा रोड पर जोन-1 की पूर्वी सीमा तक व इसका पूर्वी भाग। जोन-1 के उत्तर-पूर्वी सीमा व आगरा रोड मिलान बिन्दु से पूर्व की ओर आगरा रोड पर होते हुए जोन-10ए के दक्षिणी-पूर्वी मिलान बिन्दु तक। आगरा रोड के इस मिलान बिन्दु से दक्षिण</td> <td>10-ए</td> </tr> </tbody> </table>	वर्तमान जोन	प्रस्तावित नवगठित जोन का क्षेत्राधिकार	प्रस्तावित नया जोन	10	जोन-1 के आगरा रोड की ओर पूर्वी मिलान बिन्दु से उत्तर की ओर दिल्ली बाईपास रोड पर चलते हुए आमेर की पहाड़ी के छोर तक व इसका पूर्वी भाग। जयपुर दिल्ली बाईपास व आमेर पहाड़ी के छोर से पूर्व की ओर चलते हुए प्रस्तावित रिंग रोड को क्रॉस करते हुए दूढ़ नदी के मिलान बिन्दु तक व इसका दक्षिणी क्षेत्र। दूढ़ नदी के इस मिलान बिन्दु से दूढ़ नदी के सहारे-2 दक्षिण की ओर चलते हुए आगरा रोड के मिलान बिन्दु तक व इसका पश्चिमी क्षेत्र। आगरा रोड के इस मिलान बिन्दु से पश्चिम की ओर आगरा रोड पर चलते हुए जोन-1 के पूर्वी भाग की सीमा तक व इसका समस्त उत्तरी भाग।	10	10	जोन-9 की उत्तर-पश्चिमी सीमा व रेलवे लाईन मिलान बिन्दु से उत्तर की ओर चलते हुए आगरा रोड पर जोन-1 की पूर्वी सीमा तक व इसका पूर्वी भाग। जोन-1 के उत्तर-पूर्वी सीमा व आगरा रोड मिलान बिन्दु से पूर्व की ओर आगरा रोड पर होते हुए जोन-10ए के दक्षिणी-पूर्वी मिलान बिन्दु तक। आगरा रोड के इस मिलान बिन्दु से दक्षिण	10-ए	
वर्तमान जोन	प्रस्तावित नवगठित जोन का क्षेत्राधिकार	प्रस्तावित नया जोन											
10	जोन-1 के आगरा रोड की ओर पूर्वी मिलान बिन्दु से उत्तर की ओर दिल्ली बाईपास रोड पर चलते हुए आमेर की पहाड़ी के छोर तक व इसका पूर्वी भाग। जयपुर दिल्ली बाईपास व आमेर पहाड़ी के छोर से पूर्व की ओर चलते हुए प्रस्तावित रिंग रोड को क्रॉस करते हुए दूढ़ नदी के मिलान बिन्दु तक व इसका दक्षिणी क्षेत्र। दूढ़ नदी के इस मिलान बिन्दु से दूढ़ नदी के सहारे-2 दक्षिण की ओर चलते हुए आगरा रोड के मिलान बिन्दु तक व इसका पश्चिमी क्षेत्र। आगरा रोड के इस मिलान बिन्दु से पश्चिम की ओर आगरा रोड पर चलते हुए जोन-1 के पूर्वी भाग की सीमा तक व इसका समस्त उत्तरी भाग।	10											
10	जोन-9 की उत्तर-पश्चिमी सीमा व रेलवे लाईन मिलान बिन्दु से उत्तर की ओर चलते हुए आगरा रोड पर जोन-1 की पूर्वी सीमा तक व इसका पूर्वी भाग। जोन-1 के उत्तर-पूर्वी सीमा व आगरा रोड मिलान बिन्दु से पूर्व की ओर आगरा रोड पर होते हुए जोन-10ए के दक्षिणी-पूर्वी मिलान बिन्दु तक। आगरा रोड के इस मिलान बिन्दु से दक्षिण	10-ए											


सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			की ओर चलते हुए व दूढ़ नदी के मध्य बिन्दु को मानते हुए दक्षिण में रेल्वे लाईन क्रोसिंग तक व इसका पश्चिमी भाग।	
	12		जयपुर रीजन की पश्चिमी सीमा जहां अजमेर रोड एन.एच. 8 का मिलान बिन्दु है, से जयपुर रीजन की सीमा के सहारे-2 उत्तर की ओर चलते हुए जयपुर अजमेर रेल्वे लाईन के क्रोसिंग तक व इसका पूर्वी भाग। अजमेर रेल्वे लाईन व जयपुर रीजन की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से रेल्वे लाईन के सहारे-2 प्रस्तावित रिंग रोड को क्रोस करते हुए जोन-7 की पश्चिमी सीमा जो कि रेल्वे लाईन के मिलान बिन्दु तक व इसका समस्त दक्षिणी भाग। जोन सीमा-7 के उत्तर पश्चिमी रेल्वे लाईन के उपर मिलान बिन्दु से दक्षिण की ओर अजमेर रोड तक व इसका पश्चिमी भाग। अजमेर रोड पर जोन-7 के दक्षिणी-पश्चिमी मिलान बिन्दु से जयपुर अजमेर एन.एच. 8 पर होते हुए जयपुर रीजन की पश्चिम सीमा तक व इसका उत्तरी भाग।	12
	12		जयपुर अजमेर रेलवे लाईन ओर जयपुर रीजन की पश्चिम सीमा के मिलान बिन्दु से जयपुर रीजन की उत्तरी सीमा के सहारे-2 कालवाड़ रोड तक का पूर्वी भाग। कालवाड़ रोड से जयपुर रीजन सीमा के मिलान बिन्दु से कालवाड़ रोड के सहारे-2 जोन-7 की सीमा तक का समस्त दक्षिणी भाग। जोन-7 की सीमा कालवाड़ रोड के मिलान बिन्दु से जयपुर अजमेर रेल्वे लाईन तक का समस्त पश्चिमी भाग। जयपुर अजमेर रेल्वे लाईन व जोन- के मिलान बिन्दु से जयपुर अजमेर रेल्वे लाईन के सहारे-2 जयपुर रीजन की पश्चिमी सीमा तक व इसका समस्त उत्तरी भाग।	12-ए
	12		कालवाड़ रोड के जयपुर रीजन के पश्चिमी मिलान बिन्दु से उत्तर में जयपुर रीजन की सीमा के सहारे-2 होते हुए उत्तर में	12-बी

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर-

			<p>जोन-13-ए की सीमा तक व इसका पूर्वी भाग।</p> <p>जोन-13-ए के पश्चिमी जयपुर रीजन मिलान बिन्दु से पूर्व की ओर रेल्वे लाईन क्रॉस कर सीकर रोड मिलान बिन्दु एवं इससे दक्षिण की ओर चलते हुए जोन-6 के उत्तर पूर्वी मिलान बिन्दु तक व इसका पश्चिमी क्षेत्र।</p> <p>जोन-6 के सीकर रोड पर उत्तर पूर्वी मिलान बिन्दु से पश्चिम की ओर चलते हुए रेल्वे लाईन क्रॉस करते हुए कालवाड़ रोड के मिलान बिन्दु तक व इसका पश्चिमी भाग।</p> <p>कालवाड़ रोड व जोन-16 के उत्तर से पश्चिमी मिलान बिन्दु से कालवाड़ रोड होते हुए जयपुर रीजन के पश्चिमी मिलान बिन्दु तक व इसका उत्तरी भाग।</p>	
13	जयपुर रीजन की पश्चिमी सीमा व जोन-12-बी की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से पूर्व की ओर चलते हुए रेल्वे लाईन तक व दक्षिण में चलते सीकर रोड तक व सीकर रोड के सहारे-2 सी-बाईपास तक व इसका उत्तरी पूर्वी भाग।	13	सी-बाईपास व सीकर रोड के मिलान बिन्दु से सी-बाईपास के सहारे-2 उत्तर की ओर चलते हुए जोन-2 की सीमा के उत्तर की सीमा के सहारे-2 चलते हुए दिल्ली बाईपास को क्रॉस करते हुए जोन-10-ए की उत्तरी सीमा के सहारे-2 चलते हुए प्रस्तावित रिंग रोड को क्रॉस करते हुए ढूँढ नदी तक व इसका उत्तरी भाग।	
13	जयपुर रीजन के उत्तरी सीमा के दक्षिण की ओर जयपुर रीजन की सीमा के सहारे-2 आगरा रोड को क्रॉस करते हुए रेल्वे लाईन को क्रॉस करते हुए स्टेट हाईवे-24 के	13-ए		



बन्धु,

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

		<p>मिलान बिन्दु तक व इसका पश्चिमी भाग। स्टेट हाईवे 24-ए व जयपुर रीजन के मिलान बिन्दु से पश्चिम की ओर चलते हुए जोन-9 के दक्षिणी पूर्वी मिलान बिन्दु तक जो कि झूठ नदी के मध्य बिन्दु तक व इसका उत्तरी भाग।</p> <p>झूठ नदी व जोन-9 के दक्षिणी पूर्वी मिलान बिन्दु से उत्तर की ओर चलते हुए व झूठ नदी के मध्य बिन्दु को मानते हुए जयपुर दिल्ली रेल्वे लाईन क्रॉस करते हुए उत्तर में आगरा रोड को क्रॉस करते हुए रामगढ़ रोड को क्रॉस करते हुए झूठ नदी के मध्य से उत्तर की ओर चलते हुए जयपुर रीजन के मिलान बिन्दु तक व इसका समस्त पूर्वी भाग।</p>	
14	<p>जयपुर रीजन के दक्षिणी पश्चिमी सीमा व डिग्गीमालपुरा सड़क के मिलान बिन्दु से उत्तर में डिग्गी मालपुरा रोड के सहारे चलते हुए जोन-8 के दक्षिण पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक एवं इसका समस्त पूर्वी भाग इस मिलान बिन्दु से जोन-8 की सीमा से पूर्व में चलते हुए टोंक रोड तक व इसका समस्त दक्षिणी भाग व टोंक रोड जोन-8 के मिलान बिन्दु से टोंक रोड के सहारे दक्षिण की ओर चलते हुए जयपुर रीजन सीमा का दक्षिणी पूर्वी टोंक रोड मिलान बिन्दु तक का भाग, इस बिन्दु से जयपुर रीजन की दक्षिणी सीमा पर होते हुए डिग्गी मालपुरा सड़क तक का समस्त उत्तरी भाग।</p>	14	
14	<p>टोंक रोड पर मिलने वाली जोन-9 के दक्षिणी पश्चिमी बिन्दु से पूर्व की ओर जोन-9 की सीमा के सहारे-2 चलते हुए जयपुर रीजन के पूर्वी भाग तक एवं जयपुर रीजन के पूर्वी भाग से दक्षिण की ओर चलते हुए टोंक रोड के दक्षिणी बिन्दु तक का समस्त उत्तरी भाग, टोंक रोड मिलान बिन्दु से उत्तर की ओर टोंक रोड (एनएच-12) के सहारे चलते हुए जोन-9 के दक्षिणी पश्चिमी बिन्दु तक का समस्त</p>	14-ए	


सचिव,

			पूर्वी भाग।	
44.	183.44	प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-6(1)एफडी(रूल्स)2008दिनांक 21.09.2013, आदेश क्रमांक एफ-14(14) एफडी(रूल्स)2006 दिनांक 21.09.2013 एवं एफ-12(3) एफडी(रूल्स)2013 दिनांक 21.09.2013 के द्वारा देय महंगाई भत्ता की दर को 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत किए जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा प्राधिकरण में पे-माईनस पेंशन पर कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मिकों को दिनांक 01.07.2013 से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का नकद भुगतान किए जाने तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से 31.08.2013 तक की बढ़ी हुई महंगाई भत्ता की राशि उनके जी.पी.एफ. खाते में जमा कराई जाने व माह सितम्बर, 2013 के वेतन से (अर्थात् दिनांक 01.10.2013 को देय) बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का नकद भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
45.	183.45	निविदादाताओं द्वारा बैंक गारण्टी दिए जाने के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में बैंक द्वारा निविदादाताओं को बैंक गारण्टी जारी करते समय निम्न शर्त जोड़ते हुए बैंक गारण्टी जारी की जावेगी :- "The amount covered under the above Bank Guarantee shall automatically be credited in the accounts of JDA in ICICI Bank, JDA Campus through IFSC Code No..... Bank Account No..... on the date of expiry of its validity, unless the agencies get it re-validated well before its expiry date or produce NOC from JDA in writing for its release."	निदेशक (वित्त)

एजेण्डा संख्या 183.46

अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि कार्यकारी समिति की 180वीं बैठक दिनांक 05.08.2013 के एजेण्डा संख्या 180.04 के निर्णयानुसार अभियान्त्रिकी शाखा की स्ट्रेन्थ संशोधित की गई थी, जिसके संबंध में राज्य सरकार को पत्र भी दिनांक 03.09.2013 को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। इस संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में अभियान्त्रिकी शाखा की पुनः संशोधित स्ट्रेन्थ निर्धारण बाबत डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, राजस्थान, अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच, राजस्थान एवं दलित अधिकार केन्द्र द्वारा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके क्रम में कार्यकारी समिति के पूर्व निर्णय दिनांक 05.08.2013 पर पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है।

निर्णय :

बैठक में बाद विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में अधीक्षण अभियन्ता के प्रस्तावित 14 पदों कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.08.2013 में संशोधित कर 08 ही स्वीकृत कर दिया गया था, जिसे पुनः 14 किया जाना उचित है। अतः अधीक्षण अभियन्ता की नवीन संशोधित स्ट्रेन्थ 08 के स्थान पर 14 किये जाने का निर्णय लिया गया व तदानुसार राज्य सरकार को पत्र प्रेषित कर अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

(बिष्णु चरण मल्लिक)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री अभय कुमार, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री अभय कुमार	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री विष्णु चरण मल्लिक	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री डी.सी. जबड़ा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमति लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्रीमती वीनू निहलानी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री दिनेश शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता (सिटी)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री संजय सिंह	अधिशाषी अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री विनय शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10.	श्रीमति नलिनी कलोटिया	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री दीपक नन्दी	अति. आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री अनिल अग्रवाल	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री राजकुमार शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता (आर.आर.पी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री बी.डी. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री मनोज कुमार सोनी	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री एम.एल. चौधरी	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री राजेश पाल	अधिशाषी अभियन्ता -13ए	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री जगन्नाथ बैरवा	अधिशाषी अभियन्ता -16	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री संजय नाथावत	अधिशाषी अभियन्ता -13बी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री दीपक माथुर	अधिशाषी अभियन्ता -7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री अजय गर्ग	अधिशाषी अभियन्ता -2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री रामप्रसाद	अधिशाषी अभियन्ता-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री पी. सी. अम्बेश	अधिशाषी अभियन्ता-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री एन. के. बैरवा	अधिशाषी अभियन्ता-विद्युत	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री विनोद कृष्णया	अधिशाषी अभियन्ता-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता-मुख्यालय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्रीमती उषा जैन	सहायक निदेशक (जन-संपर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(विष्णु चरण मल्लिक)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.183)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2013/डी-1254
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 30/9/13

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगरीय विकास)	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी/भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(विष्णु चन्दर सिंह)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।